



2026:AHC:57633

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9481 / 2026

रहमत अली

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : करुणेश प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., नीरज सिंह

न्यायालय संख्या - 66

(क्रम संख्या 2/143)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री करुणेश प्रताप सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- खोराबार, जिला- गोरखपुर के केस अपराध संख्या 684/2025 (धारा 103(2), 142, 308(5), 3(5), 119, 123, 61(2) बी.एन.एस.) में जमानत की प्रार्थना करता है।

अभियोजन पक्ष का मामला:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. सूचनाकर्ता द्वारा नौ नामजद अभियुक्तों और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 16.08.2025 को बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत आवेदन देकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी।

आवेदक की ओर से तर्क:

5. आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

6. एफ.आई.आर. स्वयं तीन महीने से अधिक देरी से दर्ज हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत आवेदन भी एक महीने से अधिक की देरी के बाद दिया गया था और बी.एन.एस.एस. के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

7. पुलिस को मृतक का शव दिनांक 08.07.2025 को प्राप्त हुआ था और शव परवेज खान द्वारा लाया गया था। यह तथ्य कि शव परवेज खान द्वारा लाया गया था, पंचायतनामा में उल्लिखित है।

8. सूचनाकर्ता का उक्त घटना से कोई सरोकार नहीं है। उसका आवेदक के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था।

9. आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है और उसका नाम बाद में मृतक के माता-पिता के बयानों में आया है, वह भी घटना के लगभग साढ़े चार महीने की देरी के बाद। मृतक के माता-पिता के उक्त बयान दिनांक 25.11.2025 को दर्ज किए गए थे।

10. यह सत्य है कि घटना से लगभग एक सप्ताह पूर्व मृतक के खाते से आवेदक के खाते में 15 लाख रुपये की राशि स्थानांतरित की गई थी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 30.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। वह विचारण में सहयोग करने और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन देता है।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क:

12. जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया है कि सूचनाकर्ता स्वयं मृतक को अस्पताल ले गई थी और उसने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

13. आवेदक एक बड़े नेटवर्क का सदस्य है, जिसमें आवेदक और अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक की संपत्ति हड़प ली गई थी।

14. इससे पहले, मृतक के पिता द्वारा मृतक के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दो दीवानी वाद दायर किए गए थे और सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 18, देवरिया के समक्ष दायर वाद संख्या 469/2025 के पैराग्राफ-5 में एक दीवानी वाद संख्या 209/2023 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

15. उक्त वाद संख्या 209/2023 घटना से दो साल पहले दायर किया गया था, अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

16. प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 18, देवरिया के समक्ष वाद संख्या 469/2025 दिनांक 11.08.2025 को दायर किया गया था, यानी मृतक की मृत्यु के काफी बाद, और सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 10, देवरिया के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 1502/2025 दिनांक 14.08.2025 को दायर किया गया था, वह भी घटना के बाद दायर किया गया था; अतः यह आवेदक को झूठा फंसाने का स्पष्ट मामला है। वर्तमान एफ.आई.आर. दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है।

निष्कर्ष:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषता की उपधारणा" का सुस्थापित सिद्धांत जमानत को एक नियम और कारावास को एक अपवाद के रूप में स्थापित करता है।

18. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आईएनएससी 690** में दोहराया गया है।

19. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 आईएनएससी 595** के मामले में पुनः इस बात पर बल दिया है कि कानून के इस सुस्थापित सिद्धांत को नहीं भुलाया जाना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

20. विद्वान ए.जी.ए. ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करती हों।

21. कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आवेदक के न्याय से भागने या न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने या बार-बार अपराध करने या गवाहों को डराने-धमकाने जैसी कोई सामग्री या परिस्थितियाँ नहीं दिखाई गई हैं।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी और यहाँ तक कि बी.एन.एस.एस. की धारा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



173(4) के तहत आवेदन दाखिल करने में हुई एक महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य के साथ कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं था और उसका नाम घटना के लगभग साढ़े चार महीने बाद आया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बना लिया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

23. आवेदक- **रहमत अली** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो प्रतिभूओं के सत्यापन के अधीन होगा, इस शर्त के साथ कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को डराएगा-धमकाएगा तथा आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

24. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ दी गई टिप्पणियाँ गुण-दोष के आधार पर विचारण को प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

24 मार्च, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।